

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

दारु कल्याण सिंह भवन, रायपुर

कमांक एफ 9-1/2004/1-3
प्रति,

रायपुर, दिनांक 18 मई, 2010

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व, मण्डल छत्तीसगढ़ बिलासपुर
समस्त कलेक्टर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जिला-पंचायत)
छत्तीसगढ़

विषय:- संविदा नियुक्ति देने के पूर्व संबंधित अधिकारी/कर्मचारी की निष्ठा के संबंध में।

---:0:---

छत्तीसगढ़ राज्य में प्रभावशील छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2004 में दिये गये प्रावधानों के तहत सीधी भरती के पदों पर सेवा निवृत्त व्यक्ति को भी संविदा नियुक्ति देने की व्यवस्था की गई है। उक्त नियमों को नियम-8 में यद्यपि नियुक्ति के लिये पात्रता तथा अर्हताएं निर्धारित की गई हैं, किन्तु संविदा नियुक्ति देने के पूर्व संबंधित अधिकारी/कर्मचारी की निष्ठा के संबंध में नियोक्ता द्वारा पर्याप्त छानबीन नहीं की जाती है, जिससे ऐसे अधिकारी/कर्मचारी भी संविदा नियुक्ति पा जाते हैं जिनकी संनिष्ठा संदिग्ध रहती है।

3/ अतः यह निर्देश प्रदान किए जाते हैं कि सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी की संविदा नियुक्ति हेतु विचार करते समय उसके संपूर्ण सेवाकाल का आंकलन गोपनीय प्रतिवेदन/विभागीय जांच/लोकायुक्त/आर्थिक अपराध अनवेषण ब्यूरो प्रकरणों के परिप्रेक्ष्य छानबीन किया जाए और संबंधित की निष्ठा प्रमाणित होने की स्थिति में उनकी संविदा नियुक्ति हेतु विचार किया जावे।

4/ कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।

10
(एल.डी.चोपड़े)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

awt सामान्य प्रशासन विभाग

//2//

कमांक एफ 9-1/2004/1-3
प्रतिलिपि:-

रायपुर, दिनांक 18 मई, 2010

01. राज्यपाल के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर
02. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा, जीरो पाईट, रायपुर,
03. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर,
04. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर,
05. महाधिवक्ता, महाधिवक्ता कार्यालय, बिलासपुर,
06. सचिव, लोक सेवा आयोग/मानव अधिकार आयोग/लोक आयोग/राज्य सूचना आयोग, रायपुर,
07. विशेष सहायक/निज सहायक, समस्त मान. मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण, छत्तीसगढ़, रायपुर,
08. मुख्य सचिव के स्टॉफ आफिसर, छ.ग. शासन, रायपुर,
09. संचालक, जनसंपर्क, रायपुर,
10. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, रायपुर,
11. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, रायपुर,
12. सचिव, माध्यमिक शिक्षा मंडल, रायपुर,
13. संचालक, शासकीय मुद्रणालय राजनांदगांव, छत्तीसगढ़,
14. समस्त कोषालय अधिकारी/वित्त अधिकारी, छत्तीसगढ़,
15. अवर सचिव, कर्मचारी कल्याण शाखा (कक्ष-9) सा.प्र.वि. को मान्यता प्राप्त संघों को प्रति वितरित करने हेतु अतिरिक्त 01 प्रति सहित प्रेषित,
16. अनुभाग अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, समस्त कक्ष मंत्रालय, रायपुर,
17. सामान्य प्रशासन विभाग कक्ष-6 की ओर बेवसाइट www.cg.nic.in/gad में अपलोड करने हेतु,

10

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग